बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0०स० :–3/अ0प्र0–1–191/2012 2381 /पटना, दिनांक :– 3.9.24

फुलवारी प्रखंड के भुसौला पंचायत से NH-98 से पुलिस कॉलोनी में जाने वाले पथ के मरम्मति कार्य की अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में पथ के दो स्थानों पर हेयर क्रैक पाया गया एवं पानी पटाने का अभाव पाया गया। उक्त के संबंध में विभागीय पत्रांक 824 दिनांक 04.03.2013 द्वारा श्री गोरे लाल पासवान, तत्कालीन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

2. श्री पासवान द्वारा आवेदन दिनांक–10.05.2013 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि पथ में पी0सी0सी0 ढलाई के उपरान्त Proper Curing नहीं होने के कारण पथ में हेयर क्रैक हुआ जो श्री पासवान का कार्य के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है। अतएव उक्त आरोपों पर श्री पासवान के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत अधिसूचना सं0 681 दिनांक 05.04.2018 द्वारा मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इसके निमित्त श्री राजीव रंजन कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. मुख्य अभियंता–3–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 3303 दिनांक 22.05.2018 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है का मंतव्य अंकित किया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा हेतु पथ का अद्यतन फोटोग्राफ्स कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दानापुर से प्राप्त की गई। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दानापुर के पत्रांक–986 दिनांक–18.07.2022 के माध्यम से प्राप्त पथ का अद्यतन फोटोग्राफ्स संलग्न कर उसके जाँचोंपरान्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश मुख्य अभियंता–1 को दिया गया।

5. श्री पासवान के दिनांक 30.06.2019 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को आदेश सं0 1413 दिनांक 29.08.2022 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

6. मुख्य अभियंता–1 द्वारा अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पटना द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पथ का फोटोग्राफ उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार स्थल निरीक्षण के दौरान 575 मीटर लंबाई में सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट का निर्माण कराया हुआ पाया गया। पथ का निर्माण वर्ष 2011–12 में किया गया था एंव त्रुटि का निराकरण भी वर्ष 2016 में करा लिया गया था। त्रुटि के निराकरण का लगभग 7 वर्ष बीत जाने के कारण पथ में कराये गये त्रुटि निराकरण का कोई चिन्ह नहीं पाया गया, लेकिन पथ की क्रस्ट की स्थिति वर्तमान में भी संतोषजनक पाया गया। पथ पर वाहनों का सुगमता से परिचालन हो रहा है।

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bjh@nic.in

7. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं पथ का अद्यतन निरीक्षण प्रतिवेदन की समग्र समीक्षोपरान्त श्री गोरेलाल पासवान, तदेन सहायक अभियंता को प्रश्नगत मामले मे आरोप मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

8. अतः श्री गोरेलाल पासवान, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल पटना सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
14/8/24
(डॉ0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1 191/2012 2381 /पटना, दिनांकः– 3.9.24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/8/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–191/2012 2381 /पटना, दिनांकः– 3.9.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/24
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–1–191/2012 2381 /पटना/दिनांकः– 3.9.24

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री गोरेलाल पासवान, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, पत्राचार का पता– संजय गाँधी नगर, रोड नं0–03, काली मंदिर रोड, हनुमान नगर, डाकघर–लोहिया नगर, थाना–पत्रकार नगर, जिला–पटना, पिन कोड–800026 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–191/2012 2381 /पटना/दिनांक:– 3.9.24

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–191/2012 2381 /पटना/दिनांक:– 3.9.24

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव